महत्वपूर्ण / गोरक्षा

संख्या 112 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 2018टी0सी0–7

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।
2. निदेशक,
   प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,
   उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 दिनांकः 13 जनवरी, 2023

विषयः निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल से संबन्धित, विभिन्न कार्यकलापों का आनलाईन डाटा फीड़िग, गोआश्रय पोर्टल मोबाईल एप तथा धनराशि हस्तानान्तरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कराये जाने विषयक शासनादेश संख्या–2078 / सैंतीस–2–2022–5 (53) / 2018 टीसी–7 दिनांक 13.10.2022 के प्रस्तर–8 में संशोधन के संबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश शासनादेश संख्या–2078 / सैंतीस–2–2022–5 (53) / 2018 टीसी–7 दिनांक 13.10.2022 के प्रस्तर–8 में निर्देश प्रदान किये गये थे कि पशुपालन निदेशालय स्तर पर गठित CPMU के प्रभारी श्री अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक (गोधन) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का टेलीफोन नं0–7905466200 है तथा जिले स्तर पर विकास खण्ड में PMU (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट) जिलाधिकारियों द्वारा खोली जाय, जिससे सघन मॉनीटरिंग हो सके।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.10.2022 के प्रस्तर–8 में विद्यमान उपरोक्त व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

"पशुपालन निदेशालय स्तर पर CPMU का गठन किया गया है। उक्त यूनिट के प्रभारी अपर निदेशक (गोधन) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, फोन नम्बर 0522–2740010 मोबाइल नम्बर 9412638084 एवं CPMU का ई–मेल आई0डी0–upgoashray2022@gmail.com है। जिले स्तर पर विकास भवन में PMU (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट) जिलाधिकारियों द्वारा खोली जाय, जिससे सघन मॉनीटरिंग हो सके।"

3– शासनादेश दिनांक 13.10.2022 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें / प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 13-01-2023 17:29:43
(रजनीश दुबे)
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव

संख्या 112 (1) / सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।